भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2128
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता

2128. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के बेरोजगार युवाओं का उच्च मुद्रास्फीति से बचाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रारूप तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रारूप की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान बीमित कामगारों को पात्रता शर्तों के अधीन किया जाता है जो अपनी रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित कामगारों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

*****